

श्री विश्वकर्मा वंश सुथार समाज छात्रावास

खुडाला-फालना स्टेशन, जिला-पाली (राज.) फोन नं. 02938-236329

प्रवेश फॉर्म शुल्क

10/-रूपये

फाईल फीस

15/-रूपये

फॉर्म संख्या.....

प्रवेश फॉर्म

1. छात्र का नाम.....
2. छात्र के पिता का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. जन्म दिनांक (अंको में).....
5. गौत्र गांव जिला.....
6. पिता का व्यवसाय
7. स्थाई पता.....
8. स्थानीय संरक्षक का पूरा नाम व पता.....
..... मो. नम्बर..... फोन नं.....
9. विद्याध्ययन की कक्षा (वर्तमान).....
10. विद्यालय/महाविद्यालय का नाम (जहां इस वर्ष प्रवेश लिया है) :-.....
11. पूर्व में इस छात्रावास में रहकर अध्ययन किया:-
तो वर्ष..... कक्षा..... परिणाम प्रतिशत.....
हाँ/नहीं यदि हाँ
12. पूर्व में अध्ययन स्थल का नाम.....
13. इस वर्ष का परीक्षा परिणाम (नव प्रवेश हेतु) कक्षा..... परिणाम.....
प्रथम/द्वितीय/तृतीय/उत्तीर्ण/अनुतीर्ण..... प्रतिशत.....
14. अमानत राशि रसीद कमांक..... दिनांक.....

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन-पत्र में जो विवरण मेरे द्वारा लिखा गया है, वह पूर्णतया मेरी निजी जानकारी में सत्य व सही है। इसमें किसी प्रकार का झूठ/असत्य नहीं है, ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

स्थान:-

दिनांक :-

हस्ताक्षर छात्र

अध्यक्ष

वार्डन/व्यवस्थापक

15. छात्रावास में नियमित अध्ययन करने वाले छात्रों को दैनिक कूपन व्यवस्था नहीं दी जावेगी। प्रातः 08:00 बजे के बाद दूध की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
16. छात्रावास की तमाम सम्पत्ति की हिफाजत करना, छात्रावास की व्यवस्था सुचारू चलाने में अपना पूर्ण सहयोग करना, अपने-अपने कमरों के साथ छात्रावास परिसर की पूर्णतया साफ सफाई रखना छात्र का परम कर्तव्य होगा।
17. छात्रावास व्यवस्था कमेटी/व्यवस्थापक/शिक्षा समिति के बुलाने पर छात्र के पिता/संरक्षक को आना होगा, एवं महिने में एक बार वार्डन/व्यवस्थापक से सम्पर्क कराना अनिवार्य होगा।
18. छात्रावास में 10वीं या उससे कम कक्षा के छात्र को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
19. इन नियमों के अलावा शिक्षा समिति या व्यवस्था कमेटी द्वारा जो भी लिखित या मौखिक नियम बताये जावेंगे। उनकी पालना छात्र को एवं उसके पिता/संरक्षक को करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर तुरन्त प्रभाव से छात्र को छात्रावास से निकालने का अधिकार वार्डन/व्यवस्थापक एवं पदाधिकारियों को होगा। जिस पर वाद-विवाद नहीं सुना जावेगा।
20. छात्र द्वारा गम्भीर शिकायत पाये जाने की स्थिति में तथा अभिभावक/संरक्षक को सूचना मिलने उपरान्त भी वार्डन/व्यवस्थापक से संपर्क नहीं करने पर वाहन द्वारा छात्र को उसके घर पहुंचाया जायेगा। जिसका समस्त व्यय अमानत राशि में से काटा जावेगा।
21. छात्रावास भवन 15 मई से 30 जून तक बन्द रहेगा।
22. छात्र के अभिभावक/संरक्षक को वर्ष भर में छात्रावास द्वारा बुलाने पर अभिभावक को ही बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। 1. अगस्त माह में 2. जनवरी माह में होगी।
23. किसी भी छात्र को कानों में ईयर फोन लगाकर छात्रावास परिसर में घूमने की अनुमति नहीं होगी।
24. किसी भी पदाधिकारी या व्यवस्थापक द्वारा कमरों का निरीक्षण करते समय मोबाईल फोन में ईयर फोन लगाकर पाये जाने पर मोबाईल जब्त कर दिया जायेगा।
25. छात्रों को आरती में दोनों समय आना अनिवार्य है आरती का समय मौसम (ऋतु) के हिसाब से व्यवस्थापक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

यह तमाम नियम एवं शर्तें मुझ छात्र.....
 एवं मुझ पिता/संरक्षक.....को
 स्वीकार है।

हस्ताक्षर पिता/संरक्षक

हस्ताक्षर छात्र

प्रवेश के नियम व शर्तें

1. प्रवेश पत्र पूर्ण रूप से भर कर देने पर ही स्वीकार किया जायेगा।
2. माता/पिता साथ आने पर ही प्रवेश स्वीकार किया जायेगा।
3. नियमित अध्ययन करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. बिना आज्ञा व अनुमति के छात्र छात्रावास नहीं छोड़ेगा। बाहर जाने पर छात्रावास में मौजूद छात्र के आवक-जावक रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर के साथ आने-जाने का समय एवं कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। रात्रि में 9 बजे के बाद छात्रावास का मुख्य द्वार बन्द कर दिया जायेगा।
5. प्राइवेट छात्र को छात्रावास में छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर ही प्रवेश दिया जायेगा।
6. परीक्षा के समय प्राइवेट छात्रों को आवास सुविधा के साथ प्रतिदिन के रुपये 50/- की राशि जमा करवानी होगी। अन्य दैनिक सुविधाएँ जैसे :- दूध, नाश्ता आदि सुविधाएँ उसको नहीं दी जावेगी।
7. नियमित छात्र के प्रवेश के साथ छात्र को रुपये 3000/- अग्रिम तौर पर अमानत के रूप में जमा करवाने होंगे जो सत्र पूर्ण होने पर छात्र द्वारा अपना परीक्षा परिणाम जमा करवाने पर ही लौटाई जावेगी। यह राशि मासिक व्यवस्था शुल्क के रूप में जमा नहीं की जावेगी।
8. छात्र द्वारा छात्रावास की सम्पति को किसी प्रकार की क्षति करने पर अमानत राशि में से राशि वसूल की जावेगी। अधिक राशि होने पर छात्र के पिता/संरक्षक से वसूल की जावेगी।
9. मासिक व्यवस्था शुल्क के रूप में रुपये 1500/- के हिसाब से तीन माह के 4500/- रुपये जमा करवाने होंगे। देरी से जमा करवाने पर रुपये 10 प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क एक साथ जमा करवाने की सुविधा दी जायेगी। व्यवस्था शुल्क में किसी प्रकार की शुल्क या लगातार छुट्टियों पर रहने पर छूट नहीं दी जायेगी।
10. छात्रों को जुलाई से अप्रैल तक की व्यवस्था शुल्क जमा करवानी होगी।
11. छात्र के अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएँ जैसे- थाली, ग्लास, कटोरी, बिस्तर का प्रबन्ध स्वयं को करना होगा। छात्रावास की ओर से पलंग, टेबल, स्टूल पुस्तकालय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी।
12. छात्र अपने साथ छात्रावास में बाहर के किसी व्यक्ति को साथ में नहीं रखेगा एवं न ही छात्रावास में आने-जाने देगा।
13. छात्रावास में निषेधात्मक सामग्री लाने व उसका उपयोग करने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है, धूम्रपान करते हुए पाये जाने या अनुशासनहीनता पाये जाने पर छात्रावास से तुरन्त प्रभाव से छात्र को छात्रावास से निकाल दिया जावेगा।
14. छात्रावास में नियमित अध्ययन करने वाले छात्रों को दैनिक कूपन व्यवस्था नहीं दी जावेगी। प्रातः 08:00 बजे के बाद दूध की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।